



बिहार सरकार
कृषि विभाग

e- Mail : adldir.agro@gmail.com

कार्यालय अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार

Website : www.krishi.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स सं० : 0612-2215485

पत्रांक - कृ० प्र० किसान सलाहकार 14/2016

/कृ०, प्रसार पटना, दिनांक 2016

प्रेषक,

आभांशु सी० जैन,
अपर निदेशक (शष्य),
बिहार, पटना।

सेवा में,

निबंधित
ई०मेल

जिला कृषि पदाधिकारी,
पटना।

विषय :-

अनुग्रह अनुदान हेतु बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-माँग संख्या-01 उप शीर्ष- 0106- इनटेनसीफाईड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, बिपत्र कोड P2401001090106 राज्य योजना स्कीम कोड- AGR- 5022, विषय शीर्ष - 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवायें मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि का उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

सरकार के अपर सचिव का पत्र संख्या -03/कृ० बजट- आवंटन- 17/2016 - 102 (आवंटन) दिनांक - 23.09.2016 एवं जिला कृषि पदाधिकारी, पटना का पत्रांक- 2515 दिनांक- 25.11.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कृषि विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या- 4122 दिनांक-22.09.2016 द्वारा स्वीकृत एवं पत्र संख्या-03 कृ० बजट- आवंटन-17/2016- 102 (आवंटन) दिनांक- 23.09.2016 द्वारा आवंटित राशि के आलोक में किसान सलाहकार की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु उपरान्त देय राशि मो० 4,00,000.00 (चार लाख रु०) मात्र का अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु राशि निम्न प्रकार से उप आवंटित की जाती है।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	विपत्र कोड	अनुग्रह अनुदान	कुल
जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	P2401001090106	400000.00	400000.00
कुल :-			400000.00

कुल :- (चार लाख रुपये) मात्र

- इस राशि का निकासी बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-माँग संख्या-01 उप शीर्ष- 0106- इनटेनसीफाईड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, बिपत्र कोड P2401001090106 राज्य योजना स्कीम कोड- AGR- 5022, विषय शीर्ष - 2801 में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से की जायेगी।
- यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक- 2561 बि० (2) दिनांक- 17.04.1998 एवं पत्रांक- 4572 बि० (2) दिनांक- 03.06.2016 के आलोक में दी जा रही हैं।

2. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
3. व्यय के तुरन्त बाद टी०भी० नम्बर के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
4. प्रस्ताव पर कृषि निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-
(आभांशु सी० जैन)
अपर, निदेशक (शष्य)
बिहार, पटना।

ज्ञापक.....552.....

/क०, प्रसार पटना, ...29/12/... 2016

प्रतिलिपि :-

1. कृषि निदेशक, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / संयुक्त निदेशक (शष्य) पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

अपर निदेशक (शष्य)
बिहार पटना।

mail Send to
Concern persons
2.01.16
30.12.16

h